न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी– श्री मुकेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
69 / 2019 / वाद पत्र	01.11.2019	07.02.2024

उनवान

मोहम्मद हनीफ खां पिता घासी खां कायमखानी निवासी शाहपुरा जिला शाहपुरा

– वादी

बनाम

1. शोकत खां पुत्र घासी खां कायखानी निवासी शाहपुरा जिला शाहपुरा
2. तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : वास्ते इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.ए.

उपस्थितः– श्री कल्याणमल धाकड़ :– अभिभाषक – वादी

निर्णय

उनवानी मामले में वाद पत्र वास्ते इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है –वादी व प्रतिवादी सं. 01 के हिस्से की संयुक्त कृषि आराजियात ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 2674 रकबा 0.63 है0, 2684 रकबा 0.13 है0, 5364 रकबा 0.01 है0, 5374 रकबा 0.01 है0, 5375 रकबा 0.12 है0, 5384 रकबा 0.07 है0, 5388 रकबा 0.01 है0 कुल किता 7 रकबा 0.98 है0 है। वादी का परिवारिक सजरा निम्नानुसार है।

घासी खां कायमखानी –फोत

श्रीमति गौरी बाई (पत्नी –फोत)	शोकत खां (पुत्र)	मोहम्मद हनीफ खां (पुत्र)

वादी अपने खाते की केसीसी बनवाने के लिए खाते की जमाबंदी की नकल हल्का पटवारी से निकलवाने गया तब हल्का पटवारी ने बताया कि तुम्हारा नाम मोहम्मद हनीफ खां के स्थान में हाल जमाबंदी में हनीफ मोहम्मद खां पिता घासी खां कायमखानी दर्ज है। इसलिये मोहम्मद हनीफ के नाम के केसीसी नहीं बनेगी। और कहा कि हाल जमाबंदी में अपना नाम सक्षम न्यायालय से सही कनाना पड़ेगा। बाद में केसीसी का ऋण प्राप्त कर सकते हो। वादी के पिता की मृत्यु हुई तब वादी विद्यार्थी होकर अध्यनरत था। उस समय वादी की उम्र 19–20 साल थी। वादी व प्रतिवादी सं. 01 के नाम नामान्तकरण खोलते समय हल्का पटवारी ने पूर्ण जानकारी लिये बिना व पारिवारिक सजरा बनाये बिना व पूर्ण जांच किये बिना सहवन से मोहम्मद हनीफ खां पिता घासी खां कायमखानी के स्थान पर केवल हनीफ खां पिता घासी खां कायमखानी के नाम से नामान्तरकरण खोल दिया जो न्यायहित में नहीं है इसलिए वादी अपने नाम को सही कराने के लिये न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन है कि दिनांक 10.01.1986 को हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण पंजिका ग्राम शाहपुरा की पेश की जिसके सं0 1779 है। उक्त इन्तकाल को वादी के हक तक निरस्त फरमाया जावे व हाल जमाबंदी में हनीफ खां के स्थान पर मोहम्मद हनीफ खां पिता घासी खां कायमखानी दर्ज किया जावे जो न्यायहित में आवश्यक है जिससे वादी बैंक से अपनी केसीसी बनवा सके वादी के अन्य सभी दस्तावेजों में मोहम्मद हनीफ खां के नाम से बने हुए है। उन दस्तावेजों की

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

फोटोप्रतियां साथ में पेश है। अतः निवेदन है कि वाद पत्र के पेरा सं. 04 में वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी के पक्ष में व प्रतिवादी सं. 02 के विरूद्ध हनीफ खां पिता घासी खां के स्थान पर मोहम्मद हनीफ खां पिता घासी खां कायमखानी सा0देह को राजस्व दस्तावेजों में इन्द्राज कराने की डिक्री सादिर फरमायी जावे। व राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें। तथा इन्तकाल नम्बर 1779 को वादी के हद तक निरस्त करने का आदेश बक्षावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 28.09.2022 को पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अभिभाषक वादी को उपलब्ध करवाई गयी एवं प्रतिवादी सं0 01 की तलबी जरिए रजिस्टर्ड एडी से करवाये जाने हेतु निवेदन किये जाने एवं प्रोसेस सम्मन प्रस्तुत किये जाने से प्रतिवादी सं0 01 की तलबी की गयी। दिनांक 01.11.2022 को प्रतिवादी सं0 01 द्वारा उपस्थित हो ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया। दिनांक 19.12.2022 को प्रकरण कायमी तनकियात के नियत किया गया। दिनांक 13.09.2023 को प्रकरण में तनकी की आवश्यकता नहीं होने से प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 27.09.2023 को वादी स्वयं उपस्थित जिनके द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07.02.2024 को अभिभाषक वादी द्वारा बहस हेतु निवेदन किया जिससे प्रकरण में बहस अभिभाषक वादी सुनी गयी। बहस में अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों दोहराते हुए वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, एवं अन्य रेकार्ड को देखा। प्रतिवादी सं0 01 सहखातेदार द्वारा वाद स्वीकार किये जाने हेतु जवाब दावा प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत रेकार्ड पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, सैकण्डरी स्कूल परीक्षा अंक तालिका, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड उक्त सभी दस्तावेजात में वादी का नाम मोहम्मद हनीफ खां कायमखानी दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तरकरण सं0 1779 का अवलोकन किया गया। घासी खां की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण 10.01.86 को खोला जाकर जांच 03.02.1986 को हुई जिसमें वादी का नाम हनीफ खां अंकित है। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी सैकण्डरी परीक्षा की अंक तालिका 23.06.1983 को जारी हुई जिसमें वादी का नाम मोहम्मद हनीफ कायमखानी दर्ज है। जिससे प्रतीत होता है कि वर्ष 1986 में खोले गये नामान्तकरण में वादी का नाम बिना जांच के त्रुटिपूर्वक हनीफ खां लिख दिया गया है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजात से वाद पत्र की पुष्टि होने से वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

—:: आदेश ::—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है कि :—

वाके ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा की जमाबंदी संवत् 2076 से 2076 में स्थित आराजी नम्बर 2674 रकबा 0.63 है0, 2684 रकबा 0.13 है0, 5364 रकबा 0.01 है0, 5374 रकबा 0.01 है0, 5375 रकबा 0.12 है0, 5384 रकबा 0.07 है0, 5388 रकबा 0.01 है0 कुल किता 7 रकबा 0.98 है0 में दर्ज सहखातेदार वादी का नाम हनीफ खां पुत्र घासीखां के स्थान पर मोहम्मद हनीफ खां पुत्र घासी खां कायमखानी राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। शेष इद्राज यथावत रहगें। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
एसिस्टेंट कलेक्टर
सहायक कलक्टर, शाहपुरा
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

बईजलास श्री मुकेश कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

मोहम्मद हनीफ खां पिता घासी खां कायमखानी निवासी शाहपुरा जिला शाहपुरा

– वादी

बनाम

1. शोकत खां पुत्र घासी खां कायखानी निवासी शाहपुरा जिला शाहपुरा
2. तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : वास्ते इन्द्राज दुरस्ती

मुकदमा नम्बर 69 सन् 2019 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा की जमाबंदी संवत् 2076 से 2076 में स्थित आराजी नम्बर 2674 रकबा 0.63 है0, 2684 रकबा 0.13 है0, 5364 रकबा 0.01 है0, 5374 रकबा 0.01 है0, 5375 रकबा 0.12 है0, 5384 रकबा 0.07 है0, 5388 रकबा 0.01 है0 कुल किता 7 रकबा 0.98 है0 में दर्ज सहखातेदार वादी का नाम हनीफ खां पुत्र घासीखां के स्थान पर मोहम्मद हनीफ खां पुत्र घासी खां कायमखानी राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 07 माह 02 सन् 2024** को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा